प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

कार्यक्रम प्रबन्धक,
पी0आई0यू0, हाउसिंग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

संख्याः 2413/तेरह–सी0आर0ए0/दै0आ0/2013–14 दिनांक 12 फरवरी, 2014

विषयः– **जनपद में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों (ODCH) के निर्माण हेतु प्रथम किश्त निर्गत करने के सम्बन्ध में लाभार्थियों की सूची (कोड सहित) प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक दिनांक 11.02.2014 को आपके कार्यालय से दूरभाष पर प्राप्त मौखिक निर्देशों के कम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 2207/तेरह–सी0आर0ए0/दै0आ0/2013–14 दिनांक 02 जनवरी, 2014 एवं पत्र संख्या 2322(1)/तेरह–सी0आर0ए0/दै0आ0/2013–14 दिनांक 27 जनवरी, 2014 से प्रेषित लाभार्थियों की सूची के अतिरिक्त 10 लाभार्थियों जिन्हें पारम्परिक आवास निर्माण हेतु प्रथम किश्त निर्गत की जानी है की सूची निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि 57 लाभार्थियों जिनकी स्वयं की नाप भूमि नहीं है उन्हें राज्य सरकार की भूमि में पट्टा निर्गत किये जाने हेतु लाभार्थियों से नजराना/भूकर लिया जाय या नहीं के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देने हेतु अनुरोध किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की प्रति संलग्न की जा रही है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर लाभार्थियों को पट्टा आवंटन किया जायेगा।

संलग्नः उक्तानुसार।

भवदीय,
12/2/14
(बी0 एल0 फिरमाल),
अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।

Forma-2

Beneficiary List

District Bageshwar

S.No	Code No.	Name of Beneficiarty	Father's/Husband Name	Village	Block	Name& Branch of Bank	IFSC Code No.	Account Number	Amount Paid From Disaster Relief Found (1 Lakh/2Lakh/Nil)	Recommendations for Release of 1st Installment			
										Title Deed (Yes/N	Geological Report (Yes/No)	Undertaking (Yes/No)	All Payment Formalities are completed for 1st
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B55	भागी चन्द्र सिंह	हरीशचन्द सिंह	कुवारी	कपकोट	SBI, Kapkot	SBI N 0009925	33451307456	Nil	Yes	Yes	Yes	Yes
2	B59	गुलाब सिंह	सरोप सिंह	कुवारी	कपकोट	Union Bank, Kapkot	UBIN 0569887	698802010000184	Nil	Yes	Yes	Yes	Yes
3	B61	बिरमा देवी	धरम सिंह	कुवारी	कपकोट	Union Bank, Kapkot	UBIN 0569887	698802010000204	Nil	Yes	Yes	Yes	Yes
4	B62	बलवन्त सिंह	शेर सिंह	कुवारी	कपकोट	Union Bank, Kapkot	UBIN 0569887	698802010000172	Nil	Yes	Yes	Yes	Yes
5	B63	हरीश चन्द्र सिंह	स्वरूप सिंह	कुवारी	कपकोट	Union Bank, Kapkot	UBIN 0569887	698802010000211	Nil	Yes	Yes	Yes	Yes
6	B64	दयाल सिंह	जवाहर सिंह	कुवारी	कपकोट	SBI, Kapkot	SBI N 0009925	33445821619	Nil	Yes	Yes	Yes	Yes
7	B76	लाल सिंह	शेर सिंह	पूडकुनी	कपकोट	SBI Kapkot	SBI N 0009925	33448489247	Nil	Yes	Yes	Yes	Yes
8	B93	चन्दन सिंह	सोबन सिंह	कुलाऊँ	गरूड़	SBI,Dangoli	SBIN0009940	33445854577	Nil	Yes	Yes	Yes	Yes
9	B95	जोगा राम	मथुरा राम	बनैगॉव	बागेश्वर	Gramin Bank, Saniudiyar	SBINOUTGB	76004777386	Nil	Yes	Yes	Yes	Yes
10	B96	कैलाश राम	बसन्त राम	बनैगॉव	बागेश्वर	Gramin Bank, Saniudiyar	SBINOUTGB	76004775583	Nil	Yes	Yes	Yes	Yes

अपर जिलाधिकारी,
बागेश्वर

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

सचिव,
आपदा प्रबन्धन एवं
पुर्नवास अनुभाग
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

पत्रांक 03 /II–8/ग0ग्रा0/2013–14 दिनांक 16/1/2014

विषयः– जनपद बागेश्वर अन्तर्गत आपदाग्रस्त प्रभावित व्यक्ति जिनकी नाप भूमि सुरक्षित जगह पर नही है,के लिए राजकीय भूमि का पट्टा दिये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या 1024/F/XVIII-(2)/2013-16(5)/2013 दिनांक 11अक्टूबर,2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के बिन्दु संख्या–6 मे भूमि व्यवस्था के कम मे उल्लिखित किया गया है कि **"राज्य सरकार लाभार्थी को भूमि दीर्घ अवधि यथा 90 वर्ष के पट्टे(लीज)पर उचित अभिलेख के माध्यम से देगी।"** प्रभावित व्यक्तियों को पारम्पारिक आवास निर्माण हेतु 40 वर्गमी0 भूमि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त है। प्राप्त निर्देशो के कम मे जनपद बागेश्वर के तहसील कपकोट के ग्राम कुंवारी मे 53 प्रभावित परिवारों हेतु एवं तहसील बागेश्वर के ग्राम छतीना मे 04 परिवारों हेतु 40 वर्गमी0 राजकीय भूमि चयनोपरान्त पट्टा दिये जाने हेतु इस स्तर पर केवल स्वीकृति होना शेष है। आवंटन हेतु प्रस्तावित स्थलों का भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु स्थलीय विकास किया जा चुका है।

चूंकि पट्टे गर्वमेन्ट ग्राण्ट एक्ट–1895 एवं 1960 के अनुरूप ही दिये जाने का प्राविधान है। नियत पट्टा विलेखो मे निर्धारित शर्तो के अनुरूप आवंटियो से नजराना (Premium)/भूकर लिये जाने की शर्ते है जिसमे इस स्तर से परिर्वतन नही किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि नजराना (Premium) वर्तमान बाजार भाव की दो गुने दर से एकमुश्त जमा करने पर पट्टा प्रथम 30 वर्ष की अवधि के लिये दिये जाने का उल्लेख है। तदकम मे उदाहरण स्वरूप ग्राम कुवारी हेतु 40 वर्गमी0 हेतु भूमि का सर्किल रेट रू0 4,800/– है,दो गुने भूमि की कीमत रू0 9,600/– एकमुश्त जमा करने पर पट्टा प्रथम 30 वर्ष की अवधि हेतु दिया जा सकता है। इसी प्रकार भूकर हेतु वार्षिक लगान 17 पैसा प्रति नाली निर्धारित है। प्रश्नगत शासनादेश मे यह उल्लेख नही किया गया है कि आवंटियो से नजराना (Premium)/भूकर लिया जाय या नही।

अतः उक्त वर्णित परिस्थितियों मे आवंटियो से नजराना (Premium)/भूकर लिया जाय या नही, के संबंध मे मार्गदर्शन देने का कष्ट करें ताकि प्रभावित व्यक्तियों को पारम्पारिक निर्माण हेतु भूमि लीज पट्टे पर उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीय,

(बी0एस0मनराल),
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार/–

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,देहरादून को सूचनार्थ एवं उचित आदेशार्थ प्रेषित।

(बी0एस0मनराल),
जिलाधिकारी,बागेश्वर।